भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1061

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

पोषण 2.0 के अंतर्गत किशोरियों और बच्चों की स्थिति

1061. **सुश्री इकरा चौधरी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पोषण अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में किशोरियों (11-14) की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) पोषण अभियान के अंतर्गत बनाए गए स्वास्थ्य पहचान-पत्रों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अविकसित और कम वजन वाले बच्चों (0-5) की संख्या और प्रतिशत जिलेवार कितनी है;

(घ) उक्त राज्य को पोषण सहायता के लिए स्वीकृत और संवितरित राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त राज्य में अविकसित और कम वजन वाले बच्चों के पोषण में सुधार के लिए कोई विशेष कदम प्रस्तावित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) नामक अम्ब्रेला मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक

केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित व्यापक योजना है, जहां किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने में प्रवेश संबंधी कोई बाधा नहीं है। इस मिशन को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों सहित पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता तथा अच्छी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना

पोषण केवल भोजन करने तक सीमित नहीं है, इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय (मेटाबोलिज्म) की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वच्छ पेयजल जैसे कारकों से प्रभावित होती है। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, शिक्षा इत्यादि को शामिल करते हुए- बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों बीच परस्पर तालमेल (क्रॉस कटिंग) स्थापित करके कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण

अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्तव किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के तहत शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप में से एक कार्यकलाप पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता एडवोकेसी करना है क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर एवं मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण क्रियाकलापों का संचालन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में

एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता होती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चरणों से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण के संकेतकों में सुधार देखने को मिला है। एनएफएचएस -1 से एनएफएचएस -5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**बौनेपन %**	**अल्प वजन%**	**दुबलापन %**
एनएफएचएस -1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस -2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस -3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस -4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस -5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3

* 4 वर्ष से कम
** 3 वर्ष से कम
*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका प्रासंगिक समय पर 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष के आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि जून, 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.36 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7 करोड़ बच्चों

का कद और वजन विकास मापदंडों पर मापन किया गया है। इनमें से 37.07% बच्चे बौने पाए गए, 15.93 % बच्चे अल्प वजन वाले और 5.46% बच्चे कमजोर पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के जून, 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 8.61 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं जिनमें से 8.19 करोड़ बच्चों का कद और वजन विकास मापदंडों पर मापन किया गया है। इनमें से 35.91% बच्चे (0-6 वर्ष) बौने और 16.50 % बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए हैं।

उपरोक्त एनएफएचएस आंकड़ों और पोषण ट्रैकर आंकड़ों के विश्लेषण से संपूर्ण भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण संबंधी प्रदर्शन में सुधार के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं। हाल ही में शुरू की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

- मंत्रालय ने 12 सितंबर, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम - सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0), नियम, 2022 जारी किए, ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता के लिए, बच्चे के जन्म के छह माह बाद तक और छह माह से छह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट अधिकारों को विनियमित किया जा सके।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला पोषण समिति (डीएनसी) को मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण कार्यकलापों की विकेन्द्रीकृत योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। डीएनसी के कामकाज को सुदृढ़ और संस्थागत बनाने के लिए, जिला पोषण समितियों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं, जिनमें नियमित समीक्षा बैठकों के लिए सुझाए गए डेटा टेम्पलेट भी शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय

समन्वय को बढ़ाना, सेवा प्रदायगी में सुधार करना और जिला स्तर पर महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

- आज तक, बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं विकास के लिए 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाता है जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं।
- सरकार ने प्रत्येक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को एक पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत करने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसमें एक कार्यकर्ता और एक सहायिका की नियुक्ति की जाएगी ताकि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिल सके, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। अब तक 88,716 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
- पोषण ट्रैकर एक आईसीटी उपकरण है जिसे परिभाषित संकेतकों पर आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) और लाभार्थियों में बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदायगी की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए क्रियान्वित किया गया है।
- सेवा प्रदायगी की अंतिम लाभार्थी तक निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने टेक-होम राशन के वितरण हेतु फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) विकसित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लाभार्थी को ही लाभ मिले। 1 जुलाई, 2025 से टीएचआर वितरण के लिए एफआरएस को अनिवार्य कर दिया गया है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करने करने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण

कार्यकलापों पर केंद्रित है। अभी तक देश भर में प्रधानमंत्री जनमन के तहत कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक अनुसूचित जनजाति गाँवों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस प्रयास में वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 2000 नए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और 6000 मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करना शामिल है।

पोषण ट्रैकर आंकड़ों से जून, 2025 माह के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों (0-5 वर्ष) के कुपोषण संकेतकों का जिलावार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

पिछले छह वर्षों के दौरान सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को जारी निधि का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

पोषण ट्रैकर आंकड़ों से मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत किशोरियों की संख्या का जिलावार विवरण **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक ।

"पोषण 2.0 के अंतर्गत किशोरियों और बच्चों की स्थिति" के संबंध में सुश्री इकरा चौधरी द्वारा दिनांक 23.07.2025 को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न संख्या 1061 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पोषण ट्रैकर आंकड़ा के अनुसार, जून, 2025 माह के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में बच्चों (0-5 वर्ष) के कुपोषण संकेतकों का जिलावार विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	**जिला**	**बौनापन (%)**	**दुबलापन (%)**	**अल्प वजन (%)**
1	आगरा	52.6	5.42	24.01
2	अलीगढ	45.27	5.54	18.36
3	अंबेडकरनगर	46.07	5.58	19.28
4	अमेठी	42.5	5.23	20.47
5	अमरोहा	53.73	5.68	23.99
6	औरैया	43.74	5.76	17.32
7	अयोध्या	45.64	4.76	17.98
8	आजमगढ़	44.31	2.5	14.19
9	बागपत	44.07	3.67	17.13
10	बहराईच	49.45	6.39	22.16
11	बलिया	48.46	4.65	15.1
12	बलरामपुर	45.3	7.53	23.63
13	बाँदा	59.33	5.38	29.6
14	बाराबंकी	50.8	6.13	24.52
15	बरेली	54.49	3.38	20.15
16	बस्ती	40.23	6.03	15.68
17	भदोही	49.41	4.46	17.54

क्र.सं.	जिला	बौनापन (%)	दुबलापन (%)	अल्प वजन (%)
18	बिजनौर	40.28	3.88	15.84
19	शाहजहांपुर	51.07	5.85	23.06
20	बुलन्दशहर	48.24	3.97	18.03
21	चंदौली	44.83	2.53	14.19
22	चित्रकूट	59.48	7.2	29.14
23	देवरिया	46.79	5.35	17.53
24	एटा	53.47	3.39	19.5
25	इटावा	48.99	4.58	18.23
26	फर्रुखाबाद	52.22	4.75	21.82
27	फ़तेहपुर	51.06	6.13	25.73
28	फिरोजाबाद	56.37	3.84	20.66
29	गौतमबुद्धनगर	37.44	5.36	14.12
30	गाजियाबाद	42.3	3.11	14.27
31	गाजीपुर	52.95	3.43	17.83
32	गोंडा	50.55	7.89	24.33
33	गोरखपुर	46.33	6.91	20.55
34	हमीरपुर	54.72	6.16	24.43
35	हापुड	50.79	2.36	18.54
36	हरदोई	51.63	5.96	24.3
37	हाथरस	46.34	5.47	18.32
38	जालौन	48.15	1.67	13.57
39	जौनपुर	54.89	5.63	22.54
40	झांसी	49.09	6.07	20.25

क्र.सं.	जिला	बौनापन (%)	दुबलापन (%)	अल्प वजन (%)
41	कन्नौज	47.96	3.6	17.11
42	कानपुर देहात	48.91	4.56	20.46
43	कानपुर नगर	38.93	5.66	17.83
44	कासगंज	44.52	5.76	16.94
45	कौशांबी	50.64	4.69	19.72
46	कुशीनगर	49.67	6	21.04
47	लखीमपुर खेरी	44.49	2.95	17.35
48	ललितपुर	51.95	7.87	26.54
49	लखनऊ	51.4	5.95	23.56
50	महाराजगंज	44.11	4.09	18.18
51	महोबा	51.75	4.76	18.67
52	मैनपुरी	51.57	5.64	17.1
53	मथुरा	49.71	4.97	19.73
54	मऊ	32.88	6.26	14.25
55	मेरठ	46.96	2.35	17.3
56	मिर्जापुर	52.57	4.5	22.01
57	मुरादाबाद	53.14	3.97	20.98
58	मुजफ्फरनगर	50.21	4.49	20.82
59	पीलीभीत	51.6	4.46	18.79
60	प्रतापगढ़	51.05	5.75	19.14
61	प्रयागराज	44.51	5.75	17.99
62	रायबरेली	52.59	6.32	25.05
63	रामपुर	49.52	4.82	22.44

क्र.सं.	जिला	बौनापन (%)	दुबलापन (%)	अल्प वजन (%)
64	सहारनपुर	45.68	4.32	16.89
65	संबल	56.79	4.37	22.93
66	संतकबीरनगर	42.01	5.82	15.74
67	शाहजहांपुर	46.96	4.19	19.77
68	शामली	48.63	3.63	18.78
69	श्रावस्ती	45.78	9.09	22.85
70	सिद्धार्थनगर	52.01	11.57	27.7
71	सीतापुर	53.58	4.03	19.51
72	सोनभद्र	52.91	3.76	20.95
73	सुल्तानपुर	50.82	6.44	19.84
74	उन्नाव	51.58	5.4	24.59
75	वाराणसी	46.64	2.65	14.6

अनुलग्नक -II

"पोषण 2.0 के अंतर्गत किशोरियों और बच्चों की स्थिति" के संबंध में सुश्री इकरा चौधरी द्वारा दिनांक 23.07.2025 को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न संख्या 1061 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2021-22 से सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को जारी निधि का विवरण इस प्रकार है:

	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	**वित्तीय वर्ष 2021-2022**	**वित्तीय वर्ष 2022-2023**	**वित्तीय वर्ष 2023-2024**	**वित्तीय वर्ष 2024-2025**
1.	उत्तर प्रदेश	2407.55	2721.87	2668.69	2694.62

अनुलग्नक -III

"पोषण 2.0 के अंतर्गत किशोरियों और बच्चों की स्थिति" के संबंध में सुश्री इकरा चौधरी द्वारा दिनांक 23.07.2025 को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न संख्या 1061 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जून, 2025 तक पोषण ट्रैकर आंकड़ों से मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत किशोरियों की संख्या का जिलावार विवरण इस प्रकार है:

जिला	**कुल किशोरियां**
बहराईच	27122
बलरामपुर	17378
चंदौली	28248
चित्रकूट	9953
फ़तेहपुर	34613
श्रावस्ती	5136
सिद्धार्थनगर	22661
सोनभद्र	14756

****